

**Section 138 : Compounding of offences**

- (1) Any offence under this Act may, either before or after the institution of prosecution, be compounded by the Commissioner on payment, by the person accused of the offence, to the Central Government or the State Government, as the case be, of such compounding amount in such manner as may be prescribed:

**Provided** that nothing contained in this section shall apply to –

<sup>1</sup>(a) a person who has been allowed to compound once in respect of any of the offences specified in clauses (a) to (f), (h), (i) and (l) of sub-section (1) of section 132;]

(b) <sup>2</sup>[\*\*\*\*\*]

<sup>3</sup>(c) a person who has been accused of committing an offence under clause (b) of sub-section (1) of section 132;]

(d) a person who has been convicted for an offence under this Act by a court;

(e) <sup>4</sup>[\*\*\*\*\*]

(f) any other class of persons or offences as may be prescribed:

**Provided further** that any compounding allowed under the provisions of this section shall not affect the proceedings, if any, instituted under any other law:

- 
- 1 Clause (a) substituted by The Finance Act, 2023, effective date yet to be notified. Earlier to substitution it read as under:  
“(a) a person who has been allowed to compound once in respect of any of the offences specified in clauses (a) to (f) of sub-section (1) of section 132 and the offences specified in clause (l) which are relatable to offences specified in clauses (a) to (f) of the said sub-section;”
- 2 Clause (b) omitted by The Finance Act, 2023, effective date yet to be notified. Earlier to omission it read as under:  
“(b) a person who has been allowed to compound once in respect of any offence, other than those in clause (a), under this Act or under the provisions of any State Goods and Services Tax Act or the Union Territory Goods and Services Tax Act or the Integrated Goods and Services Tax Act in respect of supplies of value exceeding one crore rupees;”
- 3 Clause (c) substituted by The Finance Act, 2023, effective date yet to be notified. Earlier to substitution it read as under:  
“(c) a person who has been accused of committing an offence under this Act which is also an offence under any other law for the time being in force;”
- 4 Clause (e) omitted by The Finance Act, 2023, effective date yet to be notified. Earlier to omission it read as under:  
“(e) a person who has been accused of committing an offence specified in clause (g) or clause (j) or clause (k) of sub-section (1) of section 132; and”

**Central Goods & Services Tax Act, 2017**

**Provided also** that compounding shall be allowed only after making payment of tax, interest and penalty involved in such offences.

- (2) The amount for compounding of offences under this section shall be such as may be prescribed, subject to the minimum amount not being less than ten thousand rupees or fifty per cent of the tax involved, whichever is higher, and the maximum amount not being less than <sup>5</sup>[twenty-five per cent. of the tax involved and the maximum amount not being more than one hundred per cent. of the tax involved.]
- (3) On payment of such compounding amount as may be determined by the Commissioner, no further proceedings shall be initiated under this Act against the accused person in respect of the same offence and any criminal proceedings, if already initiated in respect of the said offence, shall stand abated.

—————

---

<sup>5</sup> Substituted for “ten thousand rupees or fifty per cent of the tax involved, whichever is higher, and the maximum amount not being less than thirty thousand rupees or one hundred and fifty per cent. of the tax, whichever is higher.” by The Finance Act, 2023, effective date yet to be notified.

**धारा 138 : अपराधों का शमन**

- (1) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का या तो अभियोजन के संस्थित करने से पूर्व या उसके पश्चात् अपराध के अभियुक्त व्यक्ति द्वारा, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को ऐसी शमन रकम के ऐसी रीति में संदाय पर, जो विहित की जाए, आयुक्त द्वारा शमन किया जाएगा :

**परन्तु** इस धारा की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी—

(क) <sup>1</sup>[किसी व्यक्ति, जिसे धारा 132 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से खण्ड (च), खण्ड (ज) और खण्ड (झ) तथा खण्ड (ट) में विनिर्दिष्ट अपराधों में से किन्हीं के संबंध में शमन के लिये एक आर अनुज्ञात किया गया है,]

(ख) <sup>2</sup>[.....]

<sup>3</sup>(ग) कोई व्यक्ति, जो धारा 132 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन कोई अपराध करने का अभियुक्त रहा है;]

(घ) किसी व्यक्ति, जो किसी न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है;

(ङ) <sup>4</sup>[.....]

(च) व्यक्तियों या अपराधों के किसी अन्य वर्ग, जो विहित किया जाए :

**परन्तु** यह और कि इस धारा के उपबंधों के अधीन, अनुज्ञात कोई शमन किसी अन्य विधि के अधीन संस्थित कार्रवाइयों, यदि कोई हों, पर प्रभाव नहीं डालेगा :

- 1 वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा खण्ड (क) प्रतिस्थापित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :-

“(क) किसी व्यक्ति, जिसे धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (च) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध और खंड (ट) में विनिर्दिष्ट अपराधों, जो उक्त उपधारा के खंड (क) से खंड (च) में विनिर्दिष्ट अपराधों से संबंधित हैं, के संबंध में शमन के लिए एक बार अनुज्ञात किया गया था;”

- 2 वित्त अधिनियम 2023 द्वारा खण्ड (ख) विलोपित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार था :-

“(ख) किसी व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के अधीन या एक करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की पूर्तियों के संबंध में किसी राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के उपबंधों के अधीन, खंड (क) से भिन्न किसी अपराध के संबंध में एक बार शमन के लिए अनुज्ञात किया गया था;”

- 3 वित्त अधिनियम 2023 द्वारा खण्ड (ग) प्रतिस्थापित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :-

“(ग) किसी व्यक्ति, जिस पर इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को करने का आरोप लगाया गया है, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन भी कोई अपराध है;”

- 4 वित्त अधिनियम 2023 द्वारा खण्ड (ङ) विलोपित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार था :-

“(ङ) किसी व्यक्ति, जिस पर धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (छ) या खंड (ज) या खंड (ट) में विनिर्दिष्ट कोई अपराध करने के लिए आरोप लगाया गया है, और”

परन्तु यह और भी कि ऐसे अपराधों में केवल अंतर्वलित कर, ब्याज और शास्ति का संदाय करने के पश्चात् शमन अनुज्ञात किया जाएगा।

- (2) इस धारा के अधीन अपराधों के शमन के लिए रकम, <sup>5</sup>[अंतर्वलित कर के पच्चीस प्रतिशत और अधिकतम रकम अंतर्वलित कर के सौ प्रतिशत से अनधिक] विहित की जा सकेगी।
- (3) आयुक्त द्वारा अवधारित ऐसी शमन रकम के संदाय पर समान अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन कोई दांडिक कार्यवाही संस्थित नहीं होगी, यदि उक्त अपराध के संबंध में पहले से ही कोई दांडिक कार्यवाही संस्थित है, तो वह समाप्त हो जाएगी।



5 वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा " न्यूनतम दस हजार रुपए या अंतर्वलित कर के पचास प्रतिशत से, इनमें से जो भी उच्चतर हो, के अधीन रहते हुए और अधिकतम रकम तीस हजार रुपए या कर के एक सौ पचास प्रतिशत, इसमें से जो भी उच्चतर हो," के स्थान पर प्रतिस्थापित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है।